हरियाणा सरकार

गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 17 अप्रैल, 1999

संख्या सा० का० नि०38/संवि०/अनु /309/98.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (ग्रुप क) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले निम्न-लिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

भाग I—सामान्य

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :

1. (i) ये नियम हरियाणा, गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, कहे जा सकते हैं ।

(ii) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे ।

परिभाषाएं ।

2. इन नियमों में, जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा लोक सेवा आयोग ;

(ख) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति जो सेवा में से पदोन्नति या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी पदधारी के स्थानान्तरण से अन्यथा की गई हो ;

(ग) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा सरकार ;

(घ) "संस्था" से अभिप्राय है,—

(i) हरियाणा राज्य में लागू विधि द्वारा स्थापित कोई संस्था ; या

(ii) इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था ;

(ङ) "मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय" से अभिप्राय है,—

(i) भारत में विधि द्वारा निगमित कोई विश्वविद्यालय – अथवा

(ii) 15 अगस्त, 1947, से पूर्व हुई परीक्षा के परिणामस्वरूप प्राप्त, उपाधि पत्र या प्रमाण-पत्र की दशा में, पंजाब, सिन्ध या ढाका विश्वविद्यालय ; या

(iii) कोई अन्य विश्वविद्यालय, जो इन नियमों के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय घोषित किया गया हो ;

(च) "सेवा" से अभिप्राय है, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत (ग्रुप क) सेवा।

भाग II–सेवा में भर्ती

पदों की संख्या तथा उनका स्वरूप :

3. सेवा में इन नियमों के परिशिष्ट क में बताए गए पद होंगे :

परन्तु इन नियमों की कोई भी बात ऐसे पदों की संख्या में वृद्धि या कमी करने या विभिन्न पदनामों और वेतनमानों वाले नये पद स्थायी अथवा अस्थायी रूप से बनाने के सरकार के अन्तर्निहित अधिकार पर प्रभाव नहीं डालेगी।

सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों की राष्ट्रिकता, अधिवास तथा चरित्र :

4. (1) कोई व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह निम्नलिखित न हो,—

(क) भारत का नागरिक ; या

(ख) नेपाल की प्रजा ; या

(ग) भूटान की प्रजा ; या

(घ) तिब्बत का शरणार्थी, जो पहली जनवरी, 1962, से पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो ; या

(ङ) भारतीय मूल का व्यक्ति जो पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा कीनिया, युगांडा तथा तंजानिया के संयुक्त गणराज्य, (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार), जांबिया, मलावी, जायरे और इथोपिया के किसी पूर्वी अफ्रीकी देश से प्रवासित होकर भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से आया हो :

परन्तु प्रवर्ग (ख), (ग), (घ) तथा (ङ) से संबंधित व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति होगा, जिसके पक्ष में सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसकी दशा में पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक हो आयोग द्वारा संचालित परीक्षा या साक्षात्कार के लिये प्रविष्ट किया जा सकता है, किन्तु नियुक्ति का प्रस्ताव उसे सरकार द्वारा आवश्यक पात्रता प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बाद ही दिया जा सकता है।

(3) कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर सीधी भर्ती द्वारा तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह अपनी अन्तिम उपस्थिति के विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था के यदि कोई हो, प्रधान शैक्षणिक अधिकारी से चरित्र प्रमाण-पत्र और दो ऐसे अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों से, जो उसके सम्बन्धी न हों, किन्तु उसके व्यक्तिगत जीवन में उससे भली भांति परिचित हों और जो उसके विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय या संस्था से संबंधित न हों, उसी प्रकार के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करे।

आयु ।

5. कोई भी व्यक्ति, सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नहीं किया जाएगा, जो आयोग को आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अथवा उससे पहले तीस वर्ष से कम या चालीस वर्ष से अधिक आयु का हो।

नियुक्ति प्राधिकारी ।

6. सेवा में पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जायेंगी।

अर्हतायें ।

7. कोई भी व्यक्ति, सेवा में किसी भी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह सीधी भर्ती की दशा में इन नियमों के परिशिष्ट ख के खाना 2 में तथा सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति की दशा में पूर्वोक्त परिशिष्ट के खाना 3 में वर्णित विनिर्दिष्ट अर्हतायें तथा अनुभव न रखता हो :

परन्तु सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की दशा में अनुभव संबंधी योग्यताओं में आयोग के विवेक पर 50 प्रतिशत की सीमा तक ढील दी जा सकेगी, यदि अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा शारीरिक रूप से विकलांग प्रवर्गों में उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न हों, ऐसा करने के लिये लिखित रूप में कारण दिये जायेंगे ।

अयोग्यताएं ।

8. कोई भी व्यक्ति, —

(क) जिसने जीवित पति या पत्नी वाले व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह की संविदा कर ली है ; या

(ख) जिसने पति/पत्नी के जीवित होते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह कर लिया है या विवाह संविदा कर ली है,

सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि सरकार की इस सम्बन्ध में संतुष्टि हो जाये कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू संवीय विधि के अधीन ऐसा विवाह अनुज्ञेय है तथा ऐसा करने के अन्य आधार भी हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने से छूट दे सकती है ।

भर्ती का ढंग ।

9. परियोजना निदेशक की दशा में, सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(i) परियोजना अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा ; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण द्वारा या प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(2) सभी पदोन्नतियां, जब तक अन्यथा उपबन्धित न हों, ज्येष्ठता एवं योग्यता के आधार पर की जायेगी और केवल ज्येष्ठता ही ऐसी पदोन्नतियों के लिये कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी ।

परिवीक्षा ।

10. (1) सेवा में किसी भी पद पर नियुक्त व्यक्ति, यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो दो वर्ष की अवधि के लिये और यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो एक वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रहेगा :

परन्तु —

(क) ऐसी नियुक्ति के बाद किसी अनुरूप या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर व्यतीत की गई कोई अवधि परिवीक्षा की अवधि में गिनी जायेगी ;

(ख) स्थानान्तरण द्वारा किसी नियुक्ति की दशा में, सेवा में, किसी भी पद पर नियुक्ति से पहले किसी समकक्ष अथवा उच्चतर पद पर किये गये कार्य की कोई अवधि, नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, इस नियम के अधीन नियत परिवीक्षा अवधि की ओर गिनने दी जा सकती है ;

(ग) स्थानापन्न द्वारा नियुक्ति की कोई अवधि परिवीक्षा पर व्यतीत की गई अवधि के रूप में गिनी जायेगी किन्तु कोई भी व्यक्ति जिसने ऐसे स्थानापन्न रूप में कार्य किया है परिवीक्षा की विहित अवधि के पूरा होने पर, यदि वह किसी स्थायी पद पर नियुक्त न किया गया हो, पुष्ट किये जाने का हकदार नहीं होगा ।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में परिवीक्षा की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति का कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो, तो वह ,—

(क) यदि ऐसा व्यक्ति, सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है ; और

(ख) यदि ऐसा व्यक्ति सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्त किया गया हो तो—

(i) उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है ; या

(ii) उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ।

(3) किसी व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि पूरी होने पर, नियुक्ति प्राधिकारी,—

(क) यदि उसका कार्य या आचरण उसकी राय में संतोषजनक रहा हो तो,—

(i) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी स्थाई रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो उसकी नियुक्ति की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(ii) ऐसे व्यक्ति को, यदि वह किसी अस्थायी रिक्ति पर नियुक्त किया गया हो, तो स्थायी रिक्ति होने की तिथि से पुष्ट कर सकता है ; या

(iii) यदि कोई स्थाई रिक्ति न हो, तो घोषित कर सकता है कि उसने अपनी परिवीक्षा अवधि संतोषजनक ढंग से पूरी कर ली है ; या

(ख) यदि उसका कार्य आचरण उसकी राय में संतोषजनक न रहा हो तो,—

(i) यदि वह सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किया गया हो तो उसे उसकी सेवाओं से अलग कर सकता है, यदि अन्यथा नियुक्त किया गया हो, तो उसे उसके पूर्व पद पर प्रतिवर्तित कर सकता है, या उसके सम्बन्ध में किसी ऐसी अन्य रीति में कार्रवाई कर सकता है जो उसकी पूर्व नियुक्ति के निबन्धन तथा शर्तें अनुज्ञात करें ;
या

(ii) उसकी परिवीक्षा अवधि बढ़ा सकता है और उसके बाद ऐसे आदेश कर सकता है जो वह परिवीक्षा की प्रथम अवधि की समाप्ति पर कर सकता था :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि, जिसमें बढ़ाई गई अवधि भी, यदि कोई हो, शामिल है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

ज्येष्ठता :

11. सेवा के सदस्यों की परस्पर ज्येष्ठता किसी भी पद पर उनके लगातार सेवाकाल के अनुसार निश्चित की जायेगी :

परन्तु जहां सेवा में विभिन्न संवर्ग हों, वहां ज्येष्ठता प्रत्येक संवर्ग के लिये अलग-अलग निश्चित की जायेगी :

परन्तु यह और कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में ज्येष्ठता निश्चित करते समय आयोग द्वारा अवधारित योग्यता क्रम भंग नहीं किया जायेगा :

परन्तु यह और कि एक ही तिथि को नियुक्त दो या दो से अधिक सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता निम्नलिखित रूप में निश्चित की जायेगी :—

(क) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त सदस्य पदोन्नति या स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ख) पदोन्नति द्वारा नियुक्त सदस्य स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्य से ज्येष्ठ होगा ;

(ग) पदोन्नति द्वारा अथवा स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, ज्येष्ठता ऐसी नियुक्तियों में ऐसे सदस्यों की ज्येष्ठता के अनुसार निश्चित की जायेगी, जिनसे वे पदोन्नत या स्थाद स्थानान्तरित किये गये थे ; और

(घ) विभिन्न संवर्गों से स्थानान्तरण द्वारा नियुक्त सदस्यों की दशा में, उनकी ज्येष्ठता वेतन के अनुसार निश्चित की जायेगी, अधिमान ऐसे सदस्यों को दिया जायेगा जो अपनी पहले की नियुक्ति में उच्चतर पद पर वेतन ले रहा था और यदि मिलने वाले वेतन की दर भी समान हो तो उनकी नियुक्तियों में उनके सेवाकाल के अनुसार और यदि सेवाकाल भी समान हो तो आयु में बड़ा सदस्य छोटे सदस्य से ज्येष्ठ होगा।

सेवा करने का दायित्व :

12. (1) सेवा का कोई भी सदस्य, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा हरियाणा राज्य में अथवा उसके बाहर, किसी स्थान पर सेवा करने के लिये आदेश दिये जाने पर, ऐसा करने के लिये दायी होगा।

(2) सेवा के किसी सदस्य को सेवा के लिये निम्नलिखित के अधीन प्रतिनियुक्त किया जा सकता है,—

(i) कोई कम्पनी, संग या व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण हरियाणा राज्य के पास है, हरियाणा राज्य के भीतर नगर निगम या स्थानीय प्राधिकरण अथवा विश्वविद्यालय ; या

(ii) केन्द्रीय सरकार या ऐसी कम्पनी, संगम या व्यष्टि निकाय चाहे वह निमित हो या नहीं, जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण केन्द्रीय सरकार के पास हो ; अथवा

(iii) कोई अन्य राज्य सरकार, अन्तर्राष्ट्रीय संगठन, स्वायत निकाय, जिसका नियन्त्रण सरकार के पास न हो अथवा गैर सरकारी निकाय :

परन्तु सेवा के किसी भी सदस्य को, उसकी सहमति के बिना, खण्ड (ii) या खण्ड (iii) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी संगठन या निकाय में सेवा करने के लिये प्रतिनियुक्ति नहीं किया जायेगा।

वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा अन्य मामले :

13. वेतन, छुट्टी, पैंशन तथा सभी अन्य मामलों के संबंध में, जिनका इन नियमों में स्पष्ट रूप से उपबन्ध नहीं किया गया है, सेवा के सदस्य ऐसे नियमों तथा विनियमों द्वारा नियन्त्रित होंगे, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा भारत के संविधान के अधीन अथवा राज्य विधान–मण्डल द्वारा बनाई तथा उस समय लागू किसी जविधि के अधीन अपनाये या बनाये गये हों अथवा इसके बाद अपनाये या बनाये जायें।

अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलें :

14. (1) अनुशासन, शास्तियां तथा अपीलों से संबंधित मामलों में, सेवा के सदस्य समय–समय पर यथा संशोधित हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, द्वारा नियन्त्रित होंगे :

परन्तु ऐसी शास्तियों का स्वरूप जो लगाई जा सकती हैं, ऐसी शास्तियां लगाने के लिये सशक्त प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाई गई किसी विधि या नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये वे होंगे, जो इन नियमों के परिशिष्ट 'ग' में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987, के नियम 9 के उप-नियम (1) के खण्ड (ग) या खण्ड (घ) के अधीन आदेश करने के लिये सक्षम प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी भी वह होगा जो इन नियमों के परिशिष्ट "घ" में विनिर्दिष्ट हैं।

टीका लगवाना :

15. सेवा का प्रत्येक सदस्य, जब सरकार किसी विशेष या साधारण आदेश द्वारा ऐसा निर्देश करे, टीका लगवायेगा तथा पुन: टीका लगवायेगा ।

राजनिष्ठा की शपथ :

16. सेवा के प्रत्येक सदस्य से, जब तक उसने पहले ही भारत के प्रति तथा विधि द्वारा, यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति राजनिष्ठा की शपथ न ले ली हो ऐसा करने की अपेक्षा की जायेगी।

ढील देने की शक्ति :

17. जहां सरकार की राय में इन नियमों के किसी उपबन्ध में ढील देना आवश्यक या उचित हो, वहां वह कारण लिखकर आदेश द्वारा, व्यक्तियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग के बारे में ऐसा कर सकती है।

विशेष उपबन्ध :

18. इन नियमों में किसी बात के होते हुये भी, नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह नियुक्ति आदेश में विशेष निबन्धन तथा शर्तें लगाना उचित समझे, तो वह ऐसा कर सकता है ।

आरक्षण :

19. इन नियमों में दी गई कोई बात राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, पिछड़े वर्गों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के किसी अन्य वर्ग या प्रवर्ग को दिये जाने वाले अपेक्षित आरक्षणों तथा अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी :

परन्तु इस प्रकार से किये गये आरक्षण की कुल प्रतिशतता किसी भी समय पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

निरसन और व्यावृति :

20. सेवा को लागू कोई नियम तथा इन नियमों में से किसी के अनुरूप कोई नियम, जो इन नियमों के प्रारम्भ से तुरन्त पहले लागू हों, इसके द्वारा, निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार से निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई आदेश या की गई कार्रवाई इन नियमों के अनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया आदेश अथवा की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

परिशिष्ट क

(देखिए नियम 3)

पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
	स्थाई	अस्थायी	जोड़	
1	2	3	4	5
परियोजना निदेशक	—	1	1	3,000—100—3,500—125—5,000 रुपए

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 7)

पद नाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती के अलावा, द्वारा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव यदि कोई हो।
1	2	3
परियोजना निदेशक	(i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में मास्टर उपाधि या इसके समकक्ष; अथवा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इन्जिनियरिंग में मकैनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/कम्प्यूटर विज्ञान प्रोद्यौगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स/पर्यावरण इन्जिनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधि; (ii) ग्रामीण विकास से सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण तथा क्रियान्वयन और ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जांच तथा विभिन्न विकास एजेन्सियों, के बीच ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिये तालमेल सम्बन्धी कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।	पदोन्नति द्वारा : कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष; या कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इन्जिनियरिंग प्रोद्योगिकी में मकैनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/कम्पूटर विज्ञान/प्रोद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक्स पर्यावरण इन्जिनियरिंग या इसके समकक्ष उपाधि ; और (i) परियोजना अधिकारी के रुप में आठ वर्ष का अनुभव स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (ii) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री, या कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इन्जिनियरिंग/प्रोद्यौगिकी में मैकेनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल रसायन कम्प्यूटर विज्ञान/प्रोद्यौगिकी इलैक्ट्रोनिक्स/पर्यावरण इन्जिनियरिंग में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष ; (ii) ग्रामीण विकास से सम्बन्धित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की आयोजना, निर्माण तथा क्रियान्वयन और ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जांच तथा विभिन्न विकास एजैन्सियों के बीच ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए तालमेल सम्बन्धी कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान ।

परिशिष्ट ग

[देखिए नियम 14 (1)]

पदनाम	नियुक्त प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील अधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
परियोजना निदेशक	सरकार	1. छोटी शास्तियां : (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी ; (ii) परिनिन्दा ; (iii) पदोन्नति रोकना ; (iv) आदेशों की उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कंपनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियंत्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली ; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना ; 2. बड़ी शास्तियां : (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना ;	सरकार	सरकार	..

1	2	3	4	5	6
		(vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनिति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं ;			
		(viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली सम्बन्धी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त निदेशों के साथ या उसके बिना होगा ;			
		(ix) अनिवार्य सेवा निवृति ;			
		(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी ;			
		(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत निरर्हता होगी ।			

परिशिष्ट घ

[देखिए नियम 14 (2)]

पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश देने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अंतिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5
परियोजना निदेशक	(i) पेंशन को नियंत्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना; (ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा नियुक्ति की समाप्ति।	सरकार	..	..

एस० वाई० कुरेशी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग ।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES DEPARTMENT

Notification

The 17th April, 1998

No. G. S.R. 38/Const./Art. 309/98.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rule regulating the recruitment and conditions of service of persons appointed to the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group A) Service, namely :—

PART-I GENERAL

Short Title and Commencement:

1. (i) These rule may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group A) Service Rules, 1998.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

Definitions :

2. In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Haryana Public Service Commission ;

(b) "direct recruitment" means an appointment made otherwise than by promotion from within the service or by transfer of an official already in the Service of the Government of India or any State Government ;

(c) "Government" means the Haryana Government in the Administrative Department ;

(d) "Institution" means,—

(i) any institution established by law in force in the State of Haryana ; or

(ii) any other institution recognised by the Government for the purpose of these rules ;

(e) "recognised University" means,—

(i) any university incorporated by law in India ; or

(ii) in the case of a degree, diploma or certificate obtained as a result of an examination held before the 15th August, 1947, the Punjab, Sind or Dacca University; or

(iii) any other university which is declared by the Government to be a recognised University for the purpose of these rules ;

(f) "Service" means] the Haryana Non-conventional Energy Soucres (Group A) Service.

PART II–RECRUITMENT TO SERVICE

Number and Character of Posts :

3. The Service shall comprise the posts shown in Appendix A to these rules :

Provided that nothing in these rules shall affect the inherent right of the Government to make additions to, or reductions in, the number of such posts or to create new posts with different designations and scales of pay, either permanently or temporarily.

Nationality, domicile and character of candidates appointed to service:

4. (1) No persons shall be appointed to any post in the service, unless he is,—

(a) a citizen of India ; or

(b) a subject of Nepal ; or

(c) a subject of Bhutan ; or

(d) a Tibetan refugee who came over to India before the Ist day of January, 1962, with the intention of permanently settling in India ; or

(e) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, or any of the East African countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zangibar), Zambia, Malawi, Ziare and Ethopia with the intention of permanently settling in India :

Provided that a person belonging to any of the categories (b), (c), (d) or (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government.

(2) A person in whose case a certificate of eligibility is necessary may by admitted to an examination or interview conducted by the Commission, but the offer of appointment may be given only after the necessary eligibility certificate has been issued to him by the Government

(3) No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment, unless he produced a certificate of character from the Principal Academic Officer of the university, college, school or institution last attended, if any, and similar certificate from two other responsible persons, not being his relatives, who are well acquainted with him in his private life and are unconnected with his university, college, school or institution.

Age:

5. No person shall be appointed to any post in the Service by direct recruitment who is less than 30 years or more than 40 years of age, on or before the last date of submission of application to the Commission.

Appnointig authority :

6. Appointment to the post in the Service shall be made by the Government.

Qualifications :

7. No person shall be appointed to any post in the Service, unless he is in possession of qualifications and experience specified in Column 2 of Appendix B to these rules in the case of direct recruitment and those specified in Column 3 of the aforesaid Appendix in case of persons appointed other than by direct recruitment :

Provided that in the case of appointment by direct recruitment, the qualifications regarding experience shall be relaxable to the extent of 50 percent at the discretion of the Commission in case sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Backward Classes, Other Backward Classes, Ex-Service men and Physically handicaapped categories possessing the requisite experience, are not available to fill up the vacancies reserced for them, after rscording reasons for so doing in writing.

Disqualifications :

8. No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having spouse living ; or

(b) who having a spuose living, has entered or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any post in Service :

Provided that the Government may if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any Person from the operation of this rule.

Recruitment to Service:

9. (1) Recruitment to the Service in case of Project Director, shall be made,—

(i) by promotion from amongst Project Officers ; or

(ii) by direct recruitment ; or

(iii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India .

2. All promotions, unless otherwise provided, shall be made on seniority-cum-merit basis and seniority along shall not confer any right to such promotions.

Probation :

10. (1) Persons appointed to any post in the Service shall remain on probation for a period of two years, if appointed by direct recruitment, and one year, if appointed otherwise ;

Provided that —

(a) any period, after such appointment, spent on deputation on a corresponding or a higher post shall count towards the period of probation;

(b) any period of work in equivalent or higher rank, prior to appointment to any post in the Service may, in the case of an appointment by transfer, at the discretion of the appointing authority, be allowed to count towards the period of probation fixed under this rule : and

(c) any period of officiating appointment shall be reckoned as period spent on probation, but no person who has so officiated shall on the completion of the prescribed, period of probation be entitled to be confirmed, unless he is appointed against a permanent vacancy.

(2) If, in the opinion of the appointing authority the work or conduct of a person during the period of probation is not satisfactory, it may,—

(a) if such person is appointed by direct recruitment, dispense with his Services : and

(b) If such person is appointed otherwise than by direct recruitment,—

(i) revert him to his former post : or

(ii) deal with him in such other manner as the terms and conditions of the previous appointment permit.

(3) On the completion of the period of probation of a person, the appointing authority may,—

(a) if his work or conduct has, in its opinion, been satisfactory,—

(i) confirm such person from the date of his appointment, if appointed, against a permanent vacancy ; or

(ii) confirm such person from the date from which a permanent vacancy occurs, if appointed against a temporary vacancy : or

(iii) declare that he has completed his probation satisfactorily, if there is no permanent vacancy ; or

(b) if his work or conduct has in its opinion, been not satisfactory,—

(i) dispense with his Services, if appointed by direct recruitment, if appointed othereise revert him to his former post or deal with him in such other manner as the terms and conditions of his previous appointment permit ; or

(ii) extend his period of probation and thereafter pass such orders, as it could have passed on the expiry of the first period of probation ;

Provided that the total period of probation, including extension, if any, shall not exceed three years.

Seniority:

11. Seniority, *inrerse* of members of the Service shall be determined by the length of continuous Service on any post in the Service :

Provided that where there are different cadres in the Service, the seniority shall be determined separately for each cadre :

Provided further that in the case of a member appointed by direct recruitment, the order of merit detemined by the Commission shall not be disturbed in fixing the seniority :

Provided further that in the case of two or more members appointed on the same date, their seniority shall be determined as follows :—

(a) a member appointed by direct recruitment shall be senior to a member appointed by promotion or by transfer :

(b) a member appointed by promotion shall be senior to a member appointed by transfer ;

(c) in the case of a member appointed by promotion or by transfer Seniority shall be determined according to the seniority of such members in the appointments from which they were promoted or transferred ; and

(d) in the case of a member appointed by transfer from different cadres, their seniority shall be determined according to pay, preference being given to a member, who was drawing a higher pay in his previous appointment; and if the rates of pay drawn are also the same, then by the length of their Service in the appointments and if the length of such Service is also the same, the older member shall be senior to the younger member.

Liability to serve:

12 (1) A member of the Service shall be liable to serve at any place, whether within or outside the State of Haryana, on being ordered so to do by the appointing authority.

(2) A member of the service may also be deputed to serve under —

(i) a company, an association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the State Government a Municipal Corporation or a local authority or university within the State of Haryana ;

(ii) the Central Government or a company, an association or a body of individuals, whether incorporated or not which is wholly or substantially owned or controlled by the Central Government ; or

(iii) any other State Government, an international organisation, an autonomous body not controlled by the Govenment or a private body :

Provided that no member of the service shall be deputed to serve the Central or any other State Government or any organisation or body referred to in clause (ii) or clause (iii) except with his consent.

Pay, leave, pension and other matters;

13. In respect of pay, leave, pension and all other matters, not expressly provided for in these rules, the members of the Service shall be governed by such rules and regulations as may have been, or may hereafter be adopted or made by the competent authority under the consttitution of India or under any law for the time bineg in force made by the State Legislature.

Discipline, penalties and appeals;

14. (1) In matters relating to discipline, penalties and appeals, members of the Service shall be governed by the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal), Rules, 1987, as amended from time to time ;

Provided that the nature of penalties which may be imposed, the authority empowered to impose such penalties and appellate authority shall, subject to the provisions

of any law or rules made under article 309 of the Constitution of India, be such as are specified in Appendix C to these rules.

(2) The authority competent to pass an order under clause (c) or (d) of sub-rule (1) of rule 9 of the Haryana Civil Services (Punishment and Appeal) Rules, 1987, and appellate authority shall be as specified in Appendix D to these rules.

Vaccination :

15. Every member of the Service shall get himself vaccinated and revaccinated as and when the Government so directs by a special or general order.

Oath of allegiance :

16. Every member of the Service, unless he has already done so, shall be required to take the oath of allegiance to India and to the Constitution of India as by law established.

Power of relaxation:

17. Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

Special provisions:

18. Notwithstanding anything contained in these rules the appointing authority may impose special terms and conditions in the order of appointment if it is deemed expedient to do so.

Reservation :

19. Nothing contained these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for Scheduled Caste, Backward Classes, Other Backward Clases, Ex-servicemen, physically handicapped persons or any other class or category of persons in accordance with the order issued by the Government in this regard, from time to time ;

Provided that the total percentage of reservations so made shall not exceed fifty percent, at any time.

Repeal and savings :

20 Any rule applicable to the Service and corresponding to any of these rules which is in force immediately before the commencement of these rules is hereby repealed :

Provided that any order made or action taken under the rule so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

APPENDIX A

(*See* rule 3)

Designation of post	Number of posts			Scale of Pay
	Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5
Project Director	—	1	1	Rs. 3,000—100—3,500—125—5,000.

APPENDIX B

(See rule 7)

Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3
Project Director	(i) Masters Degree in Physics/ Chemistry with at least 60% marks or equivalent degree OR Bachelors Degree in Engineering/Technology in Mechanical/Chemical/Electrical/Computer Sciences/ Technology, Electronics/ Environmental Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks ; (ii) At least eight years experience in the planning, formultion and implementation of projects in the field of renewable energy for the rural development, examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies. (iii) Knowledge of Hindi up to Matric standard.	By Promotion :— (i) Masters Degree in Physics or Chemistry with atleast 60% marks., OR equiva-degree; OR Bachelors degree in Engineering or Technology in Mechanical/Chemical/Electrical/ Computer Sciences /Technology, Electronics/Environmental Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks ; and (ii) Eight years experience as Project Officer. By Transfer : (i) Master Degree in Physics/ Chemistry with at least 60 % marks or equivalent degree. OR Bachelors Degree in Engineering in Mechanical/Chemical/Electrical/Computer Sciences, Technology, Electronics/ Environmental Engineering or equivalent degree with at least 60 % marks ;— (ii) Eight years experience in planning, formulation and implementation of projects in the field of renewable energy for the rural development, examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies ; and (iii) Knowledge of Hindi up to Matric standard

APPENDIX C

[*See* rule 14 (1)]

Designa-tion of post	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose penalty	Appella-te auth-ority	Second & final appell-ate autho-rity, if any
1	2	3	4	5	6
		Minor Penalties			
Project Director	Government	(i) Warning with a copy in the personal file (Character roll) ;	Covenment	—	—
		(ii) Censure ;			
		(iii) Withholding of promotion ;			
		(iv) recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breach of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislatuie of a State; and			
		(v) Withholding of increments of pay without cumulative effect ;			
		Major Penallies			
		(v) withholding of increments of pay with cumulative effect ;			

1	2	3	4	5	6
		(vi) reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay ;			
		(vii) reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or withour further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his seniority and pay on such restoration to that grade, post or service ;			
		(viii) Compulsory retirement ;			
		(ix) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
		(x) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[*See* Rule 14 (2)]

Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second & final Appellate authority, if any
1	2	3	4	5
Project Director	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension ; (ii) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.	Government	—	—

S. Y. QURAISHI,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Non-conventional Energy Sources Department.

भाग-III

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 8 सितम्बर, 2006

संख्या सा० का० नि० 23/संवि०/ अनु० 309/2006.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) ये नियम हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप क) सेवा संशोधन नियम, 2006 कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 तथा प्रस्तावना में, "हरियाणा गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत" शब्द जहां कहीं भी आएं, के स्थान पर, "हरियाणा अक्षय ऊर्जा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

एस० सी० चौधरी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव,
हरियाणा सरकार, अक्षय ऊर्जा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 8th September, 2006

No. G. S. R. 23/Const./Art. 309/2006.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group A) Service Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group A) Service Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Non-conventional Energy Sources (Group A) Service Rules, 1998 and preamble, for the words "Haryana Non-conventional Energy Sources" wherever occurring, the words "Haryana Renewable Energy" shall be substituted.

S. C. CHAUDHARY,
Financial Commissioner and Principal
Secretary to Government Haryana,
Renewable Energy Department.

भाग III

हरियाणा सरकार

अक्षय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम फरवरी, 2007

संख्या सा०का०नि० 3/संवि०/अनु० 309/2007.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा संशोधन नियम, 2007, कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, (जिन्हें, इसके बाद उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(1) सेवा में भर्ती निम्नलिखित ढंग से की जाएगी,—

(क) अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी) दशा में—

(i) परियोजना निदेशक से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) पावर यूटिलीटीज से प्रतिनियुक्ति द्वारा;

(ख) परियोजना निदेशक की दशा में—

(i) परियोजना अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा; या

(ii) सीधी भर्ती द्वारा; अथवा

(iii) किसी राज्य सरकार या भारत सरकार की सेवा में पहले से ही लगे किसी अधिकारी के स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा।"।

3. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क, ख, ग तथा घ के स्थान पर, निम्नलिखित परिशिष्ट प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात् :—

"परिशिष्ट क

(देखिये नियम 3)

क्रम संख्या	पदनाम	पदों की संख्या			वेतनमान
		स्थाई	अस्थाई	जोड़	
1	2	3	4	5	6
1.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)	—	1	1	14300-400-18300 रुपये
2.	परियोजना निदेशक	—	1	1	10000-325-15200 रुपये

परिशिष्ट ख

(देखिये नियम 7)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं तथा अनुभव, यदि कोई हो	सीधी भर्ती से अन्यथा, नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यताएं, तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)	—	**I. पदोन्नति द्वारा :** **(i) शैक्षणिक योग्यताएं :** 60 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में बी० ई०/बी० टैक या 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन/ऊर्जा अध्ययन/ऊर्जा प्रबन्ध/ऊर्जा अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर या 60 प्रतिशत अंकों सहित ऊर्जा अध्ययन/ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरी में एम० ई०/एम० टैक। **(ii) अनुभव :** उम्मीदवार जो ऊर्जा संरक्षण, अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा प्रबन्ध के क्षेत्रों में स्कीमों/परियोजनाओं की पालिसी प्लानिंग तथा कार्यान्वयन में परियोजना निदेशक के पद पर कम से कम आठ वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान। या

1	2	3	4
			II. पावर यूटिलिटीज से प्रतिनियुक्ति पर : (i) 60 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी/प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में बी० ई०/बी० टैक या 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन/ऊर्जा अध्ययन/ऊर्जा प्रबन्ध/ऊर्जा अर्थशास्त्र में एम०एस०सी० या 60 प्रतिशत अंकों सहित ऊर्जा अध्ययन/ऊर्जा प्रणाली इंजीनियरी में एम० ई०/एम० टैक। (ii) पावर यूटिलिटीज के कार्यकारी अभियन्ता जो ऊर्जा प्रबन्ध, ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा के कुशल उपयोग तथा अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में पालिसी बनाने या प्लानिंग से संबंधित मामलों के रूप में आठ वर्ष का अनुभव रखता हो। (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।
2.	परियोजना निदेशक	(i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में मास्टर उपाधि या इसके समकक्ष; अथवा कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित मैकेनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/कम्पयूटर विज्ञान	**I. पदोन्नति द्वारा :** (i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में मास्टर उपाधि या इसके समकक्ष; या कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी, में मकैनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/

1	2	3	4
		प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स/ पर्यावरण इंजीनियरी या इसके समकक्ष उपाधि; (ii) ग्रामीण विकास के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की प्लानिंग बनाने तथा कार्यान्वयन ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जांच तथा विभिन्न विकास एजेन्सियों के बीच ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए तालमेल में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव; (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।	कम्प्यूटर विज्ञान/ प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक्स/ पर्यावरण इंजीनियरी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष; और (ii) परियोजना अधिकारी के रूप में आठ वर्ष का अनुभव। **II. स्थानान्तरण द्वारा :** (i) कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में मास्टर उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि या कम से कम 60 प्रतिशत अंकों सहित इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मैकेनिकल/ रसायन/इलैक्ट्रीकल/ कम्पयूटर विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रोनिक्स/ पर्यावरण इंजीनियरी में स्नातक उपाधि या इसके समकक्ष उपाधि; (ii) ग्रामीण विकास के लिए अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में परियोजनाओं की प्लानिंग बनाने तथा कार्यान्वयन ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जांच तथा विभिन्न विकास एजेन्सियों के बीच ऐसी परियोजनाओं को लागू करने के लिए तालमेल में कम से कम आठ वर्ष का अनुभव; और (iii) मैट्रिक स्तर तक हिन्दी का ज्ञान।

परिशिष्ट ग

[देखिये नियम 14(1)]

क्रम संख्या	पदनाम	नियुक्त. प्राधिकारी	शास्तियों का स्वरूप	शास्ति लगाने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील अधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)	सरकार	**1. छोटी शास्तियां** (i) वैयक्तिक फाईल (आचरण पंजी) पर प्रति रखते हुए चेतावनी;	सरकार	सरकार	—
2.	परियोजना निदेशक		(ii) परिनिन्दा; (iii) पदोन्नति रोकना; (iv) आदेशों के उपेक्षा या उल्लंघन द्वारा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को या ऐसी कम्पनी तथा संगम तथा व्यष्टि निकाय, चाहे वह निगमति हो या नहीं जिसका पूर्ण या अधिकांश स्वामित्व या नियन्त्रण सरकार के पास है या संसद या राज्य विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या विश्वविद्यालय को हुई धन संबंधी हानि की पूरी या उसके भाग की वेतन से वसूली; (v) संचयी प्रभाव के बिना वेतन वृद्धियां रोकना;			

1	2	3	4	5	6	7
			2. बड़ी शास्तियां : (vi) संचयी प्रभाव सहित वेतन वृद्धियां रोकना; (vii) किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समयमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति ऐसे अतिरिक्त निदेशों सहित कि क्या सरकारी कर्मचारी ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन वृद्धियां अर्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर ऐसी अवनति उसकी भावी वेतन वृद्धियां स्थगित करने का प्रभाव रखेगी या नहीं; (viii) निम्नतर वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर ऐसी अवनति जो सरकारी कर्मचारी के उस समय वेतनमान ग्रेड, पद या सेवा पर, जिससे वह अवनत किया गया था, पदोन्नति के लिए साधारणतय: रोक होगी, ऐसा जिस ग्रेड अथवा पद अथवा सेवा से सरकारी कर्मचारी अवनत किया गया था उस पर बहाली संबंधी और उसकी ज्येष्ठता तथा उस ग्रेड पद या सेवा पर वेतन के बारे में शर्तों सम्बन्धी अतिरिक्त			

1	2	3	4	5	6	7
			निदेशों के साथ या उसके बिना होगा;			
			(ix) अनिवार्य सेवा निवृति;			
			(x) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;			
			(xi) सेवा से पदच्युति जो सरकार के अधीन भावी नियोजन के लिए सामान्यत: निरर्हता होगी।			

परिशिष्ट घ

[देखिये नियम 14(2)]

क्रम संख्या	पदनाम	आदेश का स्वरूप	आदेश देने के लिए सशक्त प्राधिकारी	अपील प्राधिकारी	द्वितीय तथा अन्तिम अपील प्राधिकारी, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6
1.	अतिरिक्त निदेशक (तकनीकी)	(i) पेंशन को नियन्त्रित करने वाले नियमों के अधीन उसे अनुज्ञेय सामान्य/अतिरिक्त पेंशन की राशि में कमी करना या रोकना;	सरकार	—	—। "।
2.	परियोजना निदेशक	(ii) उसकी अधिवर्षिता के लिए नियत आयु के होने से अन्यथा सेवा में सदस्य की नियुक्ति की समाप्ति।			

एस० सी० चौधरी,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
अक्षय ऊर्जा विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 1st February, 2007

No. G. S. R. 3/Const./Art. 309/2007.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, namely:—

1. These rules may be called the Haryana renewable Energy (Group A) Service Amendment Rules, 2007.

2. In the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, (hereinafter called the said rules), in rule 9, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

"(1) Recruitment to the Service shall be made,—

(a) In the case of Additional Director (Technical)—

(i) by promotion from Project Director; or

(ii) by deputation from the Power Utilities;

(b) In the case of Project Director—

(i) by promotion from amongst Project Officers; or

(ii) by direct recruitment;or

(iii) by transfer or deputation of any officer already in the service of any State Government or the Government of India.''.

In the said rules, for Appendices A, B, C and D, the following Appendices shall be substituted, namely :—

"APPENDIX A

(See rule 3)

Serial Number	Designation of post	Number of Posts			Scale of Pay
		Permanent	Temporary	Total	
1	2	3	4	5	6
1.	Additional Director (Technical)	—	1	1	Rs. 14300-400-18300
2.	Project Director	—	1	1	Rs. 10000-325-15200

APPENDIX B

(See rule 7)

Serial Number	Designation of post	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment
1	2	3	4
1.	Additional Director (Technical)	—	**I. By Promotion:** (i) **Academic Qualifications**:- Bachelor of Engineering/Bachelor of Techology in any branch of Engineering/ Technology with 60% marks or Post Graduation in Physics/ Chemistry/Energy Studies / Energy Management/Energy Economics with 60% marks or Master of Engineering/Master of Technology in Energy Studies/Energy System Engineering with 60% marks. (ii) **Experience**: Candidate who have experience of at least 8 years on the post of Project Director in policy planning and implementation of schemes/projects in the areas of energy conservation, renewable energy and energy management. (iii) Knowledge of Hindi upto matric.

1	2	3	4
			OR **II. On Deputation from Power Utilities :—** **Academic Qualifications :—** (i) Bachelor of Engineering/ Bachelor of Techology in any branch of Engineering/ Technology with 60% marks or Master of Science in Physics/Chemistry/ Energy Studies Energy Management/Energy Economics with 60% marks or Master of Engineering/Master of Technology in Energy Studies/ Energy System Engineering with 60% marks. (ii) Eight years experience as Executive Engineer of Power Utilities in dealing with the matters relating to policy formulation or planning in the field of energy management, energy conservation, efficient use of energy and renewable energy. (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.

1	2	3	4
2.	Project Director	(i) Masters Degree in Physics/ Chemistry with at least 60% marks or equivalent degree. OR Bachelors Degree in Engineering/Technology in Mechanical/Chemical/ Electrical/Computer Sciences/Technology, Electronics Environmental Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks; (ii) Atleast eigth years experience in the planning, formulation and implementation of projects in the filed of renewable energy for the rural development, examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies. (iii) Knowledge of Hindi upto Matric standard.	**By promotion:—** (i) Master Degree in Physics or Chemistry with atleast 60% marks or equivalent degree or Bachelors degree in Engineering or Techology in Mechanical/ Chemical/ Electrical/Computer Sciences/ Technology, Electronics/ Environmental Engineering or equivalent degree with atleast 60% marks; and (ii) Eight years Experience as Project Officer. **By Transfer :—** (i) Master Degree in Physics/ Chemistry with atleast 60% marks or equivalent degree or Bachelors degree in Engineering or Techology in Mechanical/ Chemical/ Electrical/Computer Sciences/ Technology, Electronics/ Environmental Engineering or

1	2	3	4
			equivalent degree with atleast 60% marks; and (ii) Eight years Experience in planning, formulation and implementation of projects in the field of renewable energy for the rural development examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies; and (iii) Knowledge of Hindi upto matric standard.

APPENDIX C

[See rule 14(1)]

Serial Number	Designation of post	Appointing authority	Nature of Penalty	Authority empowered to impose Penalty	Appellate authority	Second & final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6	7
1.	Additional Director (Technical)	Government	**Minor Penalities :—** (i) Warning with a copy in the personal file (Character roll);	Government	—	—
2.	Project Director		(ii) Censure; (iii) Withholding of promotion; (iv) Recovery from pay of the whose or part of any pecuniary loss caused by negligence or a breacn of orders, to the Central Government or a State Government or to a Company and Association or a body of individuals whether incorporated or not, which is wholly or substantially owned or controlled by the Government or to a local authority or University set up by an Act of Parliament or of the Legislature of a State ; and (v) Withholding of increments of pay without cumulative effect;			

1	2	3	4	5	6	7
			Major Penalities :—			
			(vi) Withholding of increments of pay with cumulative effect;			
			(vii) Reduction to a lower stage in the time scale of pay for a specified period, with further directions as to whether or not the Government employee will earn increments of pay during the period of such reduction and whether on the expiry of such period, the reduction will or will not have the effect of postponing the future increments of his pay;			
			(viii) Reduction to a lower scale of pay, grade, post or service which shall ordinarily be a bar to the promotion of the Government employee to the time scale of pay, grade, post or service from which he was reduced with or without further directions regarding conditions of restoration to the grade or post or service from which the Government employee was reduced and his			

1	2	3	4	5	6	7
			seniority and pay on such restoration to that grade, post of service;			
			(ix) Compulsory retirement;			
			(x) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Government;			
			(xi) dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Government.			

APPENDIX D

[See rule 14(2)]

Serial Number	Designation of post	Nature of order	Authority empowered to make the order	Appellate authority	Second & final appellate authority, if any
1	2	3	4	5	6
1.	Additional Director (Technical)	(i) reducing or withholding the amount of ordinary or additional pension admissible under the rules governing pension;	Government	—	—".
2.	Project Director	(ii) terminating the appointment of member of the service otherwise than on his attaining the age fixed for superannuation.			

S. C. CHAUDHARY,

Financial Commissioner and Principal Secretary to Government Haryana, Renewable Energy Department.

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 19-2019] CHANDIGARH, TUESDAY, MAY 7, 2019 (VAISAKHA 17, 1941 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 4 सितम्बर, 2018

संख्या 1382/संवि/अनु०/309/2018.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्चा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2018 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998 में, नियम 5, में, "चालीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "बयालीस वर्ष" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

अंकुर गुप्ता,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 4th September, 2018

No. 1382/Const./Art.309/2018.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, namely:-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy, (Group A) Service (Amendment) Rules, 2018.

2. In the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, in rule 5, for the figure "40", the words and sign "forty-two" shall be substituted.

ANKUR GUPTA,
Principal Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.

57046—C.S.—H.G.P., Chd.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 70-2019/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, APRIL 24, 2019 (VAISAKHA 4, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अप्रैल, 2019

संख्या 1491/संवि०/अनु० 309/2019.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. ये नियम हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा (संशोधन) नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

2. हरियाणा अक्षय ऊर्जा (ग्रुप क) सेवा नियम, 1998, में, परिशिष्ट–ख में,–

(i) खाना 2 के नीचे विद्यमान मद् (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"(iii) मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी/संस्कृत ;

टिप्पणी :– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा।

(ii) खाना 3 के नीचे "स्थानान्तरण द्वारा" शीर्ष तथा उसके नीचे मदों के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष तथा उसके नीचे मदें प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"स्थानान्तरण या प्रतिनियुक्ति द्वारा–

(i) परियोजना अधिकारी के रूप में आठ वर्ष का अनुभव ;

(ii) कम से कम साठ प्रतिशत अंकों सहित भौतिक/रसायन में स्नातकोत्तर डिग्री या इसके समकक्ष डिग्री या कम से कम साठ प्रतिशत अंकों सहित इंजिनियरिंग में मैकेनिकल/रसायन/इलैक्ट्रीकल/कम्प्यूटर विज्ञान/प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रोनिक्स/पर्यावरण इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री या समकक्ष डिग्री ; और

(iii) ग्रामीण विकास के लिए नवीकरणीय उर्जा के क्षेत्र में आयोजना, परियोजनाओं को बनाना तथा क्रियान्वयन, विभिन्न विकास एजेन्सियों के बीच ऐसी परियोजनाओं की तकनीकी आर्थिक क्षमता की जाँच तथा कार्यान्वयन के लिए तालमेल सबंधी कम से कम आठ वर्ष का अनुभव ;

(iv) **मैट्रिक स्तर तक या उच्चतर शिक्षा में हिन्दी / संस्कृत ;**

टिप्पणी:– पद के लिए विहित न्यूनतम योग्यताओं की तुलना में उच्चतर योग्यताएं रखने वाले उम्मीदवार को पात्र समझा जाएगा"।

टी० सी० गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

NEW AND RENEWABLE ENERGY DEPARTMENT

Notification

The 24th April, 2019

No. 1491/Const./Art.309/2019.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, namely :-

1. These rules may be called the Haryana Renewable Energy (Group A) Service (Amendment) Rules, 2019.

2. In the Haryana Renewable Energy (Group A) Service Rules, 1998, in Annexure B-,

(i) under column 2, for existing item (iii), the following item shall be substituted, namely:-

"(iii) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible''

(ii) under column 3, for the heading "By Transfer:" and entries' thereunder, the following heading and entries thereunder shall be substituted, namely:-

"By transfer or deputation

(i) Eight years experience as Project Officer.

(ii) Master Degree in Physics / Chemistry with at least 60% marks or equivalent degree OR Bachelors Degree in Engineering in Mechanical / Chemical / Electrical / Computer Science Technology, Electronics / Environmental Engineering or equivalent degree with at least 60% marks;

(iii) Eight years experience in planning, formulation and implementation of projects in the field of renewable energy for the rural development, examining the techno-economic viabilities and coordination of implementation of such projects between different development agencies; and

(iv) Hindi or Sanskrit upto Matric Standard or Higher Education.

Note- Candidate possessing higher qualifications than minimum qualifications prescribed for the post, shall be considered eligible."

T. C. GUPTA,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
New and Renewable Energy Department.

57031—C.S.—H.G.P.,Chd.